

निर्णय ब इजलास कल्पना अग्रवाल आई.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (कलक्टर), कोटपूतली बहरोड़
प्रकरण संख्या 47/2025 (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

किशोरीलाल पुत्र मखनलाल ग्रा. गुर्जरवास पो. जागुवास तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़
अपीलार्थी

बनाम
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड़ ।

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005


प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 01.04.2025

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड़ के नाम आवेदन प्रेषित कर कार्यालय सहायक अभियन्ता पीडब्ल्यूडी उपखण्ड बहरोड़ की सहायक अभियन्ता शालिनी यादव द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर प्रार्थी को नाजायज हानि पहुंचाने पर की गई कार्यवाही प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी गई। सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर यह अपील पेश कर वांछित सूचना दिलाने का अनुरोध किया है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा अतिरिक्त कलक्टर कोटपूतली बहरोड़ को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया, अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ।
3. पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा अतिरिक्त कलक्टर कोटपूतली बहरोड़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक आरटीआई/2025/53 दिनांक 01.04.2025 के द्वारा अवगत करवाया कि उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्र क्रमांक लोकसूचना/2025/129 दिनांक 27.03.2025 के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करा दी गई थी। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया।
5. अपीलार्थी को भी जरिये नोटिस सूचित किया लेकिन अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने उपस्थित होकर अपीलार्थी को उपलब्ध कराई गई सूचना से अवगत करवाते हुए अपने जवाब में अंकित तथ्यों के आधार पर अपील सारहीन होना जाहिर किया। प्रत्यर्थी द्वारा पेश दस्तावेजात का अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।
6. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
7. निर्णय आज दिनांक 01.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।




(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
अपीलीय अधिकारी (कलक्टर),
कोटपूतली-बहरोड़